न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 14/2017

1 हकीमुदीन पुत्र मो. सफी जाति व्यापारी निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 सावकरण जानु पुत्र सांवरमल जानु जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 किरण पत्नी सज्जनलाल पुत्री बोदूराम जाति ब्राहम्ण निवासी नवलगढ़ हाल निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 तहसीलदार भूमिधारी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ आदेश दिनांकित 01.12.2006 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी किरण बनाम हकीमुदीन मुकदमा नम्बर 308/2016 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

–निर्णय–

दिनांकः– 24-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 308/2016 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 किरण ने अदालत मातहत के समक्ष जमीन हाल खसरा नम्बर 3387 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3388 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3389 रकबा 0. 32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3467 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3469 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3475 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4850/3386 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5875/1595 रकबा 0.09 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम छापोली तहसील उदयपुरवाटी के बाबत घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसके साथ रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने आंशिक रूप से स्वीकार कर तानिस्तारण वाद उक्त जमीन के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत दिनांक 01.12.2016 को आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आदेश 39 नियम 1 व 2 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है। विवादित भूमि की प्रार्थीया न तो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है न ही प्रार्थीया का कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। प्रार्थीया ने श्यामसुन्दर के हक में दर्ज विरासत के नामान्तकरण संख्या 420 दिनांक 25.01.1976 को आज तक चुनौती नही दी है। अपीलांट को श्यामसुन्दर के द्वारा जमीन विक्रय करने से पूर्व हाल खसरा नम्बर 1555 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

खसरा नम्बर 1556 दावा के प्रतिवादी संख्या 13 से 15 को दिनांक 11.08. 1995 को विक्रय की है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को शुरू से रही है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1995 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आज तक कही भी चैलेंज नहीं किया। इस कारण अपीलांट्स के हक में हुये विक्रय पत्रों को चैलेंज करने में रेस्पोडेंट संख्या 1 किरण अस्टोप्ड है। अपीलांट्स सदभाविक क्रेता है। जिनके हक में विक्रय पत्र के मुताबिक नामान्तकरण संख्या 1898 एवं 1899 बाद कब्जे काश्त की भौतिक जांच के स्वीकृत हो चुके है। अपीलांट क्रय शुद्वा जमीन के खातेदार है एवं काबिज काश्त है। इस तथ्य को विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में स्वीकार भी किया है। इसके पश्चात बिना किसी कारण के विचाराधीन निर्णय से राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आदेश 39 नियम 1 व 2 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है। विवादित भूमि की प्रार्थीया न तो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है न ही प्रार्थीया का कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। प्रार्थीया ने श्यामसुन्दर के हक में दर्ज विरासत के नामान्तकरण संख्या 420 दिनांक 25.01.1976 को आज तक चुनौती नही दी है। अपीलांट को श्यामसुन्दर के द्वारा जमीन विक्रय करने से पूर्व हाल खसरा नम्बर 1555 व खसरा नम्बर 1556 दावा के प्रतिवादी संख्या 13 से 15 को दिनांक 11.08.1995 को विक्रय की है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को शुरू से रही है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1995 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आज तक कही भी चैलेंज नहीं किया। इस कारण अपीलांट्स के हक में हुये विक्रय पत्रों को चैलेंज करने में रेस्पोडेंट संख्या 1 किरण अस्टोप्ड है। अपीलांट्स सदभाविक क्रेता है। जिनके हक में विक्रय पत्र के मुताबिक नामान्तकरण संख्या 1898 एवं 1899

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बाद कब्जे काश्त की भौतिक जांच के स्वीकृत हो चुके है। अपीलांट कय शुद्वा जमीन के खातेदार है एवं काबिज काश्त है। इस तथ्य को विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय में स्वीकार भी किया है। इसके पश्चात बिना किसी कारण के विचाराधींन निर्णय से राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/04/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर